राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1,अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।

क्रमांकः–एफ 110/आ.क.व/डीडीबीसी/सान्याअवि/19/28046 जयपुर दिनांक 06/05/2022

परिपत्र

विषय :– आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के संबध में।

राज्य के आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों के अतिरिक्त)के व्यक्तियों को राज्य सेवाओं एवं राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उक्त आरक्षण का लाभ प्रदत किये जाने की दृष्टि से आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के व्यक्तियों को Income & Asset Certificate जारी करने के संबध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक 14278 दिनांक 12.03.2019 एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 62865 दिनांक 22.10.2019 जारी किया गया।

उक्त परिपत्रों में व्यादिष्ट प्रावधानों के अनुसार Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होता है, जिसके कारण आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) के व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष Income & Asset Certificate जारी करवाना पडता है जिससे उक्त वर्ग के व्यक्तियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं। राज्य के उक्त वर्ग के नागरिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुये समस्त संबधित प्राधिकारियों के लिये यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि राज्य के लिये जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ–पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम 03 वर्ष के लिये किया जा सकता है।

संलग्न :– शपथ पत्र का प्रारूप

(डा. समित शर्मा)
शासन सचिव

क्रमांकः–एफ 110/आ.क.व/डीडीबीसी/सान्याअवि/19/28047-100 जयपुर दिनांक 06/05/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2) प्रमुख सचिव/ सचिव माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
3) संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
5) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
6) अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
8) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
9) सचिव, राजस्थान अधिनस्थ मंत्रालियक एवं कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर
10) सचिव,कार्मिक,लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली।
11) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12) आयुक्त, सूचनाएवं प्रोद्योगिकी विभाग को भेजकर निवेदन है कि संबधित पोर्टल पर अपलोड कराने का श्रम करावे।
13) समस्त संभागीय आयुक्त.......................................
14) समस्त जिला कलक्टर ....।
15) समस्त उपखण्ड अधिकारी को पालनार्थ......................................।
16) ए.सी.पी. (मुख्यावास) को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने बाबत।
17) गार्ड फाईल

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव

EWS /varun

0141-2226642 Email - sje.bc@rajasthan.gov.in

आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता हेतु शपथ पत्र

शपथ–पत्र

(वित्तिय वर्ष..................)

आवेदक के परिवार के मुखिया का जनाधार कार्ड संख्या

1. मैं ______ पुत्र/पुत्री/पति/ श्री ______

निवासी ______

गांव/शहर. ______ तहसील ______ जिला ______

राजस्थान का/की हूं। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि मैं राजस्थान के राज्य के लिये निर्धारित आर्थिक कमजोर वर्ग के मापदण्डों को वित्तिय वर्ष ....के लिये अर्हाता रखता/रखती हूं। मेरे परिवार की वार्षिक आय निर्धारित आठ लाख रू से कम है ।

2. मुझे उपखण्ड अधिकारी..जिला..................................द्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग के लिये Income & Asset Certificate क्रमांक.................................दिनांक...जारी किया गया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त विशिष्ठियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और मैं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदो के लिए विचार किये जाने का पात्र हूं। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर मैं समझता हूं कि अभ्यर्थता/नियुक्ति/चयन रद्द कर दी जावेगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होंउगा जो विधि और नियमों के विरूद्ध एवं प्रतिकूल होगी।

दिनांकः–.........................

स्थानः–...........................

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

3

0141-2226642 Email - sje.bc@rajasthan.gov.in